



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केंद्रीय भवन, पद्म तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefolkko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/34/2016/एफ0सी0/642

समा में,

दिनांक : 24/11/17

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण)
उत्तर प्रदेश, वन विभाग,
17 नम्ब्रा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय: रामपुर-केसरी मार्ग (ओडीओआर0 नं०-20) किमी० 3.135 की बांधी पट्टी पर पाथ-पहाड़ी के माटा संख्या 140 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- /रामपुर/15575/2015, दिनांक- 27.10.2017

महोदय,

सम्बन्धित विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विधायकता प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 20.07.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना निर्धारित समयवादी न प्राप्त होने की दशा में प्रस्ताव में चाही गयी सूचना पत्र जारी होने के 45 दिन के भीतर प्रकरण में चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया था। विभागीय अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त सदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अनुपालन आख्या के मातृ उपलब्ध करायी गयी टोपोशीट स्कैन प्रति है, टोपोशीट मूल प्रति में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः उक्त संख्या संख्याक मूल टोपोशीट पूर्ण व्योम देते हुए एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि आप की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(नृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, वायू भवन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वाणिकी प्रभाग, रामपुर, उ० प्र०।
4. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. एकाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्यावर्ती

(नृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1447 /रामपुर/15575/2015, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 28, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को तीन दिन में एवं तीन मूल प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख अपने वन संरक्षक को तीन मूल प्रति में आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रामपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ।